



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 383 राँची, बुधवार 29 श्रावण 1936 (श०)  
20 अगस्त, 2014 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

19 अगस्त, 2014

संख्या-5/आरोप-1-450/2014 का 8223--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री नीरज कुमार सिंह, झारखण्ड (कोटि क्रमांक-793/03, गृह जिला- भागलपुर), जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बस सं०-WB-25D-7378 के मालिक मो० राजू खान, गिरिडीह से रिश्वत की माँग की गयी तथा दिनांक 14 अप्रैल, 2011 को सरकारी आवास क्वार्टर नं०- डी/13, ऑफिसर्स फ्लैट, गिरिडीह में ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) घूस लेते हुए निगरानी धावादल के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जैसा कि संलग्न प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्री सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
5. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री सादात अनवर, जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव।

-----